उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 990 –पें0एवंआर0–28/पाकालि/15–60–पी/98 T.C-D दिनांक : 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषय : पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन के साथ–साथ महंगाई राहत अनुमन्य कराया जाना।

शासनादेश संख्या–सा–3–628/10–935–78, दिनांक 16.04.1981 द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनरों जो किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कम्पनी/निगम/उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त हों, को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य न होगी। इस शासनादेश के अनुसरण में पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के ऐसे पारिवारिक पेंशनरों जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी कम्पनियों में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान निसिद्व है।

2. उ0प्र0 शासन ने प्रकरण पर पुनर्विचारोपरान्त अब शासनादेश संख्या–7/2016–सा–3–180/दस–2016–308(06)/2000, दिनांक 17.03.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित है तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तत्कालिक प्रभाव से वेतन पर महंगाई भत्ते के भुगतान के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयानुसार शासन की अनुरूपता में, पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 17.03.2016 से पेंशन के साथ–साथ मंहगाई राहत भी अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि दिनांक 17.03.2016 से पूर्व की अवधि के लिए उन्हें किसी प्रकार का अवशेष देय न होगा।

4. उपरोक्त आदेशों के क्रम में सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान प्रारम्भ किये जाने हेतु अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा दिनांक 17.03.2016 से पारिवारिक पेंशन पर प्रचिलित दर से महंगाई राहत का भुगतान अनुमन्य कराया जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 990–पें0एवंआर0–28/पाकालि/16/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण नि0 लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉ।
8. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 126वी बैठक की एजेण्डा संख्या 126/13 के सन्दर्भ में।
15. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12–आफ स्टेशन रोड़, लखनऊ।
16. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
17. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
18. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड़, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड़, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड़, कानपुर/ गुरूद्वारा रोड़, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–।।, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड़, वाराणसी।
19. प्रबन्धक (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. कट फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या-7/2016-सा-3-180/दस-2016-308(06)/2000

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 17 मार्च, 2016

विषयः- सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत।

महोदय,

शासनादेश संख्या-सा-3-628/दस-935/78, दिनॉक 16-04-1981 के प्रसारित होने से पूर्व राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/ कार्यालय में अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी/ निगम/ उपक्रम या स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान या स्थानीय निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त हों, को पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की देयता के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उक्त शासनादेश दिनॉक 16-04-1981 द्वारा यह आदेश दिये गये कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो ऊपर वर्णित कार्यालयों में सेवायोजित हैं, की पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अनुमन्य न होगी।

2- इस प्रकार राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

3- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशनर तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या-45/73/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी), दिनॉक 02-07-1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

--2/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहें है कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों की वेतन पर महँगाई भत्ते के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य किया जाये।

5- प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-सा-3-628/दस/935/78, दिनॉक 16-04-1981 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महँगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

6- इस शासनादेश के क्रम में, सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारंभ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महँगाई राहत का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या- 7/2016-सा-3-180(1)/दस-2016-308(06)/2000, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4)- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5)- अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(6)- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।